

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. रतीराम पुत्र मलुकाराम निवासी ढाणी पूनियां की तन राणासर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

- वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 567/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1140


आदेश

दिनांक - 11/09/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम राणासर तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 102 में दर्ज खातेदारान के पिता का गलत नाम "धर्मपालसिंह, नेतराम, बलविन्द्रसिंह, रतीराम, विजय प्रकाश, सुगना व सन्तोष पुत्रगण/पुत्रीयां मल्यूकाराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "धर्मपालसिंह, नेतराम, बलविन्द्रसिंह, रतीराम, विजय प्रकाश, सुगना व सन्तोष पुत्रगण/पुत्रीयां मलुकाराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)



डिक्री मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. रतीराम पुत्र मलुकाराम निवासी ढाणी पूनियां की तन राणासर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. ~~562~~ सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस. व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रुबरु मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन राणासर तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 102 में दर्ज खातेदारान के पिता का गलत नाम "धर्मपालसिंह, नेतराम, बलविन्द्रसिंह, रतीराम, विजय प्रकाश, सुगना व सन्तोष पुत्रगण/पुत्रीयां मल्यूकाराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "धर्मपालसिंह, नेतराम, बलविन्द्रसिंह, रतीराम, विजय प्रकाश, सुगना व सन्तोष पुत्रगण/पुत्रीयां मलुकाराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।



दस्तखत.....

राजवीर सिंह यादव
ओहदा.....
उपखण्ड अधिकारी

नीमकाथाना (सीकर)

	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना